न.ए-60011/07/2018-एमई/प्रशि.
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
प्रशिक्षण प्रभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
दिनांक: 30 जनवरी, 2020

अधिसूचना

यह मंत्रालय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाईजीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता में विद्यमान वर्कशॉप सहायक पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। इस संदर्भ में भर्ती नियम का प्रारुप तैयार किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

2. भर्ती नियम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रुप दिए जाने हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग और अन्य एंजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले सभी हितधारकों से इस संदर्भ में इस अधिसूचना के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर टिप्पणियां/ सुझाव, यदि कोई हो तो, आमंत्रित किए जाते है। निर्धारित अवधि के भीतर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/ सुझाव पर मंत्रालय द्वारा नियमों/अपेक्षाओं के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियां/सुझाव अधोहस्ताक्षरित को कमरा सं. 503'ए', ए विंग, निर्माण भवन,नई दिल्ली–110011 को प्रस्तुत की जायें तथा सॉफ्ट कापी kumar.pranav@nic.in को भेजी जायें।

कुमार प्रणव

(कुमार प्रणव)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं: 23061881

[भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

<u>अधिसूचना</u>

नई दिल्ली, तारीख 2019

सा.का.नि. .... (अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइज़ीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1990 को, जहां तक उनका संबंध **वर्कशॉप सहायक** के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइज़ीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता में **वर्कशॉप सहायक** के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइज़ीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता - **वर्कशॉप सहायक** (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2019 होगा।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना-** ये नियम इन नियमों के अनुसूची के अनुलग्नक के कॉलम (1) में यथानिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स–** उक्त पदों की संख्या, और **वेतनमान मेट्रिक्स** वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता – वह व्यक्ति –**

   (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है।

   (ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है। उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू ब्यौरा विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसारअनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या 1 (एक)*	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
1	2	3	4	5	6	7
वर्कशॉप सहायक	2 (दो) *(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का स्तर– 2 (सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग) के वेतन मैट्रिक्स में (रुपये 19,900-63,200)	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम 27 (सत्ताईस) वर्ष। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से जिस पद पर नियुक्ति हुई है, उसके लिए आयु सीमा निर्धारित करने की तारीख वह तारीख होगी, जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम प्रस्तुत करने को कहा गया है।	1. 10वीं उत्तीर्ण 2. एक प्रतिष्ठित वर्कशॉप से वाहनों/ट्यूब-वेल उपकरणों की मारम्मत और सर्विस में 02 (दो) वर्ष का अनुभव। टिप्पणी-1: अन्यथा सुयोग्य आवेदकों के मामले में अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव संबंधी अर्हताओं से शिथिलनीय है। टिप्पणी-2: यदि चयन के किसी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन वर्गों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं ।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं ।	विभागीय स्थायीकरण समिति: 1) अपर निदेशक, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइज़ीन एण्ड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता – अध्यक्ष 2) निदेशक, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइज़ीन एण्ड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता द्वारा नामित कोई ग्रुप 'ए' अधिकारी - सदस्य 3) सेनेटरी इंजीनियरिग के प्रोफेसर- सदस्य 4) प्रशानिक अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं ।

संख्या ए-60011/07/2018-एमई